

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभियान

प्रलिमिस के लिये:

कॉन्ट्राक्टिव शेलफ, विशिष्ट आरथिक क्षेत्र, UNCLOS

मेन्स के लिये:

UNCLOS और समुद्री विवाद जैसे किंवदणि चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में

चर्चा में क्यों?


हाल ही में भारत ने सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभियान (UNCLOS) पर अपना समर्थन दोहराया है।

- भारत ने UNCLOS, 1982 में विशेष रूप से प्रलिक्षित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सदिधांतों के आधार पर नेविशन और ओवरफ्लाइट तथा अबाधति वाणजिय की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है।
- भारत, UNCLOS का एक समर्थक देश है।

प्रमुख बांधिः

- **सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभियान** (UNCLOS) 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- इसे समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है अरथात् आंतरकि जल, प्रादेशकि सागर, सन्-नहिति क्षेत्र, विशिष्ट आरथिक क्षेत्र (EEZ) और हाई सीज़।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेविशन करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लिये मजबूती प्रदान करता है।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों का ज्ञान है बल्कि पाँच संकेंद्रिति क्षेत्रों में देशों के अधिकारों और ज़मीनदारियों के लिये विशिष्ट मार्गदरशन भी प्रदान करता है।
- जबकि UNCLOS पर **दक्षणि चीन सागर** में लगभग सभी तटीय देशों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टिकी गई है किंतु इसकी व्याख्या अभी भी बहुत विवादित है।
 - पूर्वी चीन सागर में भी समुद्री विवाद है।

समुद्री क्षेत्र



■ आधार रेखा:

- यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम प्रक्षेत्र की जल रेखा है।
- अंतरकि जल:

- अंतरकि जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भू-भाग पर स्थित होते हैं और जसिसे प्रादेशकि समुद्र की ओडाइ मापी जाती है।
- प्रत्येक तटीय देश की अपने भूमिक्षेत्र की तरह अपने अंतरकि जल पर पूरण संप्रभुता होती है। अंतरकि जल के उदाहरणों में बाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदयाँ और यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामलि हैं।
- अंतरकि जल से इनोसेंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है।
- इनोसेंट पैसेज का तात्प्रथ्य उन जल से गुजरना है जो शांत और सुरक्षा के प्रतकूल नहीं है। हालाँकि, राष्ट्रों को इसे नलिंबति करने का अधिकार है।

■ प्रादेशकि सागर:

- प्रादेशकि समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटकिल मील (NM) तक वसितृत होता है।
 - एक नॉटकिल मील पृथकी की परधि पर आधारति होता है और अक्षांश के एक मनिट के बराबर होता है। यह भूमि भापति मील (1 समुद्री मील = 1.1508 भूमिमील या 1.85 कमी) से थोड़ा अधिकि है।

■ सन्नहिति क्षेत्र (Contiguous Zone):

- सन्नहिति क्षेत्र का वसितार आधार रेखा से 24 नॉटकिल मील तक वसितृत होता है।
- तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आवर्जन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने तथा दंडति करने का अधिकार होता है।
- इसमें संबंधति देश को अपनी सीमा में न्याधिकारति का अधिकार होता है। लेकनि यह हवाई और अंतरकिष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

■ अनन्य आर्थकि क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ):

- EEZ आधार रेखा से 200 नॉटकिल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिकि संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

■ हाई सीज़ (High Seas):

- EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल सतंभ को 'हाई सीज़' कहा जाता है।
- इसे "सभी मानव जाति की साझा वरिसत" के रूप में माना जाता है और यह कसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।
- देश इन क्षेत्रों में गतविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कवि शांतपूरण उद्देश्यों के लयि हों, जैसे किपारगमन, समुद्री विज्ञान और पानी की नीचे की खोज।

स्रोत: द हिंदू

